प्रेस नोट

थाना उल्दन,झाँसी

दिनांक- 02.12.2025

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **गैर इरादतन हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 02.12.2025 को थाना उल्दन पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2025 धारा 352/105 बीएनएस(गैर इरादतन हत्या के अभियोग) में वांछित अभियुक्त दीपक वाल्मीकि पुत्र संतराम उर्फ घनाराम वाल्मीकि नि0 कस्बा व थाना उल्दन जिला झाँसी को मुखबिर की सूचना पर सिजारा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनाँक 01.12.2025 को वादी श्री रामनारायण पुत्र स्व0 मलखान नि0 अमनपुरा उल्दन झाँसी ने थाना उल्दन पर प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि दिनांक 28.11.2025 को उसका पुत्र अनीस भंडारे में खाना खाने गया था जहाँ पर दीपक वाल्मीकि पुत्र संतराम उर्फ घनाराम वाल्मीकि निवासी ग्राम व थाना उल्दन जिला झांसी ने शराब के नशे अनीष अहिरवार के पेट में लात मार दी थी जिससे उसके पेट में चोट आ गयी थी जिसकी दौराने इलाज मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना उल्दन पर मु0अ0सं0 168/2025 धारा 352/105 बीएनएस पंजीकृत करते हुए उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

दीपक वाल्मीकि पुत्र संतराम उर्फ घनाराम वाल्मीकि नि0 कस्बा व थाना उल्दन जिला झाँसी

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1-उ0नि0 श्री राजेश प्रताप थाना उल्दन जिला झाँसी।

2-का0 592 दीपचन्द्र मौर्य थाना उल्दन जिला झाँसी।